B. Com. (HONS)
P2 – A/cs (H)
Paper – IV
CORPORATE ACCOUNTING
Date – 14.05.2020.

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
(राजनगर, मधुबनी)

UNIT – III

TOPIC :— ACCOUNTING FOR AMALGAMATION

सामान्यतः कंपनी एकीकरण के संबंध में

1 अप्रैल 1995 से पूर्व एकीकरण, संविलयन एवं कार्य पुनर्निर्माण जैसे शब्द प्रचलित में थे. लेकिन, अब भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा AS-14 के जारी करने से ये तीनों शब्द समाहित होकर सिर्फ एकीकरण (Amalgamation) में शामिल हो गया है. इस प्रकार परम्परागत लेखा विधि के स्थान पर एकीकरण के लिए AS-14 का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में भारतीय [redacted] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 232 से 240 में एकीकरण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है.

जब दो या दो से अधिक कंपनियाँ जो एक जैसा व्यवसाय, या उत्पादन कर रही हो अथवा एक ही सेवा प्रदान कर रही हो, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नई कंपनी का निर्माण करती है तो इसे एकीकरण कहा जाता है. दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक [redacted] कंपनियों का समापन तथा एक नयी कंपनी का जन्म होना एकीकरण कहलाता है.

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण :—

X Ltd. + Y Ltd. = XY Ltd.
(पुरानी कंपनी) (पुरानी कंपनी) एकीकृत नयी कंपनी.

जहाँ –
X Ltd. = हस्तांतरक कं. } Transferor company.
Y Ltd. = हस्तांतरक कं.
XY Ltd. = हस्तांतरिती कं. { Transferee company.

Scanned with CamSc

सामान्यतः: कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही एकीकरण को जन्म देती है, अतः एकीकरण के फलस्वरूप निम्नलिखित लाभों की प्राप्ति विद्यमान समापन कंपनियों को होती है: —

- (i) प्रतिस्पर्धा का अंत होना।
- (ii) पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न होना।
- (iii) संचालन संबंधी व्यय में कमी होना।
- (iv) पूँजी की मात्रा में वृद्धि होना।
- (v) विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करना आसान होना।
- (vi) निर्मित वस्तुओं का वितरण करने में आसानी होना।
- (vii) प्रबंध एवं नियंत्रण कार्य सरल होना।
- (viii) बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त होना। तथा
- (ix) बाजार पर नियंत्रण रखना आसान होना।

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त कुछ अन्य लाभों की भी प्राप्ति होती है जो निम्नलिखित है —

- (क) कर्मचारियों की क्षमता का समुचित प्रयोग होना
- (ख) अनुसंधान संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करना।
- (ग) पूँजी संरचना का मजबूत होना। तथा
- (घ) सार्वजनिक हित में आर्थिक शक्ति का सही प्रयोग होना।

एकीकरण के पश्चात लाभ प्राप्ति के साथ-2 कुछ इससे हानियाँ भी होती है, जो निम्नलिखित है: —

(i) प्रबंधकीय समस्या उत्पन्न होना अर्थात् एकीकरण के पश्चात् कंपनियों का आकार बढ़ जाता है, अतः सीमित प्रबंधकीय क्षमता के कारण सफलतापूर्वक संचालन करना कठिन हो जाता है।

(ii) असहयोग की स्थिति उत्पन्न होना अर्थात् एकीकरण के पश्चात पूर्व के प्रबंधकों को आपस में मिलकर कार्य करना पड़ता है, जो संभव नहीं है, परिणामतः आपसी सहयोग की भावना के अभाव असहयोग स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे व्यवसाय की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

(iii) एकाधिकारी की स्थिति उत्पन्न होना अर्थात् एकीकरण के पश्चात् आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है जिससे कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से वस्तु एवं सेवाओं से बढ़ा हुआ मूल्य वसूला जाता है, जो समाज के लिए हानिकारक होता है।

(iv) अति पूंजीकरण की स्थिति अर्थात् एकीकरण से कंपनी की कुल पूंजी में वृद्धि हो जाती है तथा कुछ स्वार्थों में कमी हो जाती है परिणामतः कोष का का सही प्रयोग नहीं हो [redacted] पाता है, जिससे लाभांश दर में कमी हो जाती है।

(v) लघु एवं कुटीर उद्योग का अंत अर्थात् एकीकरण के फलस्वरूप आर्थिक सबलता के कारण लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा करना अत्यंत कठिन होता है। परिणामतः इन उद्योगों का विकास अन्धकारमय हो जाता है।

(vi) लोच का अभाव उत्पन्न होना अर्थात् एकीकरण की स्थिति में कंपनी का आकार बड़ा हो जाता है जिससे आवश्यकतानुसार नीतियों में परिवर्तन लाना संभव नहीं हो पाता है।

Scanned with CamSc

उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त कुछ अन्य दोष भी हैं जो निम्नलिखित है :—

(क) विभिन्न इकाइयों के बीच पारस्परिक सहयोग का अभाव होना

(ख) वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की बनावटी कमी दिखाकर उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल करना।

(ग) स्वामित्व का हानि होना अर्थात् नये स्वामित्व के बाजार में परवा समय का लगाना तथा

(घ) अति विस्तार की स्थिति उत्पन्न होना।